Election Commission of India

NAME OF THE NEWSPAPER नई दुनिया DATE: 26 JUL 2012

गणतंत्र के नए राष्ट्रपति

भारत एक संसदीय गणतंत्र है। इस नाते हमारे यहां राष्ट्रपति की भूमिका संविधान की सुरक्षा करने और उसे संरक्षण देने तक ही सीमित है। हमारे देश में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर फैसले करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति का पद मात्र शोभा की वस्तु हो। राष्ट्रपति ही लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसकी गठबंधन के इस दौर में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। नए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शायद इसी बात को ध्यान में रखकर शपथ ग्रहण करने के बाद अपने पहले ही भाषण में कहा है कि इस उच्च पद के अनुरूप जनता की सेवा में वह संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करेंगे। बेशक प्रणव मुखर्जी को करीब 70 प्रतिशत वोट मिले हों लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहने के कारण और खासकर पिछले करीब 8 वर्षों में यूपीए सरकार के संकटमोचक होने के कारण उनकी एक खास राजनीतिक छवि है, हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनके मैत्रीपूर्ण रिश्ते भी रहे हैं। प्रणव मुखर्जी को बार-बार अपनी इस छवि से ही लड़ना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसी दिन अण्णा हजारे की टीम का अपने जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर अनशन शुरू हुआ। टीम अण्णा के सदस्य अरविंद केजरीवाल को 15 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अच्छा होता कि राष्ट्रपति पद पर प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन के बाद वे उनका नाम नहीं घसीटते। बहरहाल यह तो सही है कि गरीबी और भ्रष्टाचार इस देश की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर सरकार में रहते हुए प्रणव मुखर्जी कोई खास नियंत्रण नहीं कर सके। प्रणव मुखर्जी बहुत पढ़े-लिखे, अनुभवी और संवेदनशील नेता हैं, इसलिए उनके भाषणों से बौद्धिक उत्कृष्टता की उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन जब वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जिससे देश के मूड में हताशा बढ़ती है और देश की प्रगति का क्षय होता है इसलिए हम अपनी प्रगति को चंद लोगों के लालच का शिकार नहीं होने देंगे तो ऐसा लगता है जैसे वे बस कोई पुराना मुहावरा ही दोहरा रहे हों। इसी तरह उनका यह कहना कि हम समाज की तली में खड़े लोगों का जीवन स्तर इतना ऊपर उठाएं कि आधुनिक भारत के शब्दकोश से गरीबी हट जाए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन देश में कोई विश्वास नहीं जगाता। आखिर अब जाकर उनका यह कहना कि विकास का लाभ छनकर नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, क्या दर्शाता है? जो भी हो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को उन्होंने चौथे विश्वयुद्ध की संज्ञा देते हुए यह ठीक ही कहा है कि यह चौथा विश्वयुद्ध इसलिए है कि आतंकवाद विश्व में आज भी अपना कलुषित चेहरा कहीं भी उठा सकता है। तीसरे विश्वयुद्ध को उन्होंने शीत युद्ध (यूरोप) और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हुए खूनी संघर्षों के रूप में निरुपित किया है, जिससे पता चलता है कि विश्व घटनाओं को देखने और समझने की एक उत्कृष्ट बौद्धिक दृष्टि से वे लैस हैं। अपनी इसी बौद्धिक पूंजी, संसदीय व्यवस्था और संविधान की बारीकियों की समझ और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण वे राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करते हुए लगते हैं। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दायित्व की एक संवैधानिक सीमा है, जिसका अतिक्रमण कभी नहीं होना चाहिए और अगर वह हो तो संसदीय लोकतंत्र की पताका को फहराने और उसकी आत्मा को बचाए रखने में ही हो। इस दृष्टि से उनके सामने बड़ी चुनौतियां और अग्नि परीक्षाएं उपस्थित होंगी, जिन्हें उन्होंने जीत लिया तो उनका एक राजनीतिक नेता से एक बड़े राज नेता या नायक के रूप में रूपांतरण भी हो सकता है।

हमारे देश में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर फैसले करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति का पद मात्र शोभा की वस्तु हो।